न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 225 /2022 तारीख रजू :- 1.9.22

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022 / 500

उनवान

सुगरसिंह पुत्र खोखल जाति जाट निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—सायल

बनाम

अलकेश पुत्री सूका जाति ब्राहम्ण निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—गैरसायलान—06

दिनांक	फर्द अहकाम
1.9.22	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को भूमि से बेदखल नहीं करने, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करने, रहन व्यय नहीं करने हेतु गैरसयाल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1037/1620, 729, 730, 731, 732 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में आगामी तिथी तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 10.10.2022 को पेश हों। (अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
28.09.22	पत्रावली आज मियाद तलबी के मुताबिक पेश हुई। सायल वकील उपस्थित। सायल वकील ने अवगत कराया कि सायल व गैरसायल में राजीनामा हो गया है। सायल प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता है। सायल प्रकरण नॉटप्रेस में खारिज करवाना चाहता है। अतः मु.नं. 225/22 T.I सुगरसिंह बनाम अलकेश नॉटप्रेस में खारिज किया जाता है।

पत्रावली कैफियत शुमार होकर नम्बर से कमती हो। प्रकरण में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दि० 1-9-22 को निरस्त किया जाता है।

Not press 44 A

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)